न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 006/2022 (558/2023)
गैनसिंह पुत्र गायडसिंह राजपूत
निवासी ग्राम तेजासर, इन्दो का बास,
तहसील बापिणी, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट...

ब ना म

1. कानसिंह पुत्र मूलसिंह राजपूत
2. जडावकंवर पत्नी गायडसिंह राजपूत
3. रामूकंवर पत्नी गैनसिंह राजपूत
4. भंवरसिंह पुत्र रतनसिंह राजपूत
   सभी निवासीगण ग्राम तेजासर, इन्दों का बास
   तहसील बापिणी, जिला जोधपुर
5. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार बापिणी
   जिला जोधपुर

रेस्पो.....

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अपर जिला कलेक्टर फलोदी दिनांक 03 जनवरी 2022 अपील संख्या 38/2021 गैनसिंह व अन्य बनाम कानसिंह आदि

उपस्थित–
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री सी.पी. चौधरी, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या एक
रेस्पो. संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 21 अगस्त, 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व अपील संख्या 38/2022 गैनसिंह व अन्य बनाम कानसिंह इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 03 जनवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 10 जनवरी 2022 को प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। मामले के तथ्य प्रकट करते हुए अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि मूल ग्राम देणोक वर्तमान राजस्व ग्राम तेजासर स्थित मूल खसरा संख्या 1974 रकबा 288 बीघा 07 बिस्वा पूर्व में छताराम, भेराराम, अमूराम पिसरान सिमरथा, लाधू पुत्र भारूराम जाट निवासीगण देणोक की खातेदारी की भूमि रही है, इनमें से छताराम आदि द्वारा 50 बीघा भूमि का बेचान गायडसिंह (अपीलाण्ट के पिता), भंवरसिंह पुत्र रतनसिंह व कानसिंह पुत्र मूलसिंह बहिस्सा बराबर–बराबर किये जाने पर म्युटेशन संख्या 283 स्वीकृत होकर राजस्व

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रिकार्ड में अमल–दरामद करते हुए खसरा संख्या 2074/2 रकबा 50 बीघा उक्त क्रेतागण के पक्ष में दर्ज किया गया। कालान्तर में गायडसिंह का देहान्त होने पर उसके हिस्से की भूमि बाबत गायडसिंह के वारिसान (अपीलाण्ट व अन्य) प्रत्येक का ⅓–⅓ हिस्सा दर्ज हुआ, इनमें से एक वारिस नारायणसिंह ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान रामूकंवर के पक्ष में कर दिया, इस कारण उक्त भूमि में अपीलाण्ट का ⅑ हिस्सा, रेस्पो. संख्या 2 जडावकंवर का ⅑ हिस्सा, रेस्पो. संख्या 3 रामूकंवर का ⅓ हिस्सा, रेस्पो. संख्या 4 भंवरसिंह पुत्र रतनसिह का ⅓ हिस्सा एवं रेस्पो. संख्या 1 कानसिंह पुत्र मूलसिंह का ⅓ हिस्सा राजस्व रिकार्ड 2074–2977 में दर्ज रहा। मगर तहसीलदार बापिणी के समक्ष कानसिंह पुत्र मूलसिंह (वर्तमान अपील में रेस्पो. संख्या एक) द्वारा उक्त इन्द्राजात में शुद्धि किये जाने हेतु आवेदन किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए तहसीलदार बापिणी द्वारा शुद्धिपत्र संख्या 1 मौजा तेजासर में जरिये आदेश दिनांक 02 जुलाई 2021 पारित कर आराजी खसरा संख्या 2074/2 रकबा 50 बीघा (8.0937 हैक्टेयर) वाके मौजा तेजासर बाबत अपीलाण्ट गेनसिंह पुत्र गायडसिंह $\frac{1}{12}$ हिस्सा, जडावकंवर का $\frac{1}{12}$ हिस्सा, रामुकंवर का $\frac{1}{12}$ हिस्सा, भंवरसिंह पुत्र रतनसिंह का ¼ हिस्सा व कानसिंह पुत्र मूलसिंह का ½ हिस्सा दर्ज कर दिया गया। तहसीलदार बापिणी का उक्त आदेश सरासर गलत एवं अधिकारविहीन होने के कारण उक्त आदेश के खिलाफ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट की ओर से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील पेश की गयी, जो अपील संख्या 38/2021 गेनसिंह व अन्य बनाम कानसिंह आदि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी जबकि तहसीलदार को शुद्धिपत्र के जरिये राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात परिवर्तित करने का कोई अधिकार ही उपलब्ध नहीं है। म्युटेशन संख्या 283 ग्राम देणोक बेचान के आधार पर सन् 1968 में स्वीकृत हुआ, जिसके खिलाफ आदिनांक तक कोई चाराजोई नहीं की गयी, तहसीलदार बापिणी द्वारा मात्र एक शुद्धिपत्र के जरिये बेचान के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी बाबत दर्ज सहखातेदारान के हिस्सों में परिवर्तन किया गया है, जो सुसंगत दस्तोवजात के अनुरूप नहीं है। मगर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इन तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों पर कोई गौर नहीं किया गया। अंत में अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने 2001(1) आरएलडब्ल्यु 600, 2009(2) आरआरटी 1018, 2008(2) आरआरटी 729 एवं 2015(1) आरआरटी 10 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03 जनवरी 2022 एवं तहसीलदार बापिणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 02 जुलाई 2021 का समर्थन करते हुए कथन किया कि गायडसिंह के पुत्र नारायणसिंह ने वादग्रस्त भूमि में अपना $\frac{1}{12}$ हिस्सा जाहिर करते हुए अपने हिस्से की भूमि का बेचान जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख रामूकंवर पत्नी गेनसिंह के पक्ष में किया है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं तहसीलदार बापिणी द्वारा उक्त आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किये गये है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर विदित होता है कि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

ग्राम देणोक वर्तमान राजस्व ग्राम तेजासर के मूल खसरा संख्या 1974 रकबा 288 बीघा 07 बिस्वा पूर्व खातेदारान द्वारा 50 बीघा भूमि का बेचान गायडसिंह भंवरसिंह पिसरान रतनसिंह व कानसिंह पुत्र मूलसिंह के पक्ष में किये जाने संबंधित बेचाननामा उभयपक्षकारान द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है किन्तु उसके आधार पर स्वीकृत म्युटेशन संख्या 283 में खसरा संख्या 2074/2 रकबा 50 बीघा उक्त क्रेतागण के पक्ष में दर्ज किया जाना अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजात से प्रकट है किन्तु उक्त म्युटेशन में इन क्रेतागण के हिस्सों का उल्लेख नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में इन तीनों क्रेतागण का क्रयशुदा भूमि में बराबर–बराबर हक–हिस्सा अवधारित किया जाने का विधिक प्रावधानानुसार गायसिंह पुत्र रतनसिंह का ⅓हिस्सा, भंवरसिंह पुत्र रतनसिंह का ⅓ हिस्सा व कानसिंह पुत्र मूलसिंह का ⅓ हिस्सा होता है और इसी अनुसार गायडसिंह पुत्र रतनसिंह के देहान्त के बाद खसरा संख्या 2074/2 रकबा 50 बीघा में गायडसिंह के वारिसान गेनसिंह का ⅙हिस्सा, जडावकंवर का ⅙हिस्सा, व नारायणसिंह का ⅙हिस्सा व बकाया सहखातेदारान भंवरसिंह पुत्र रतनसिंह का ⅓ हिस्सा बनता है व कानसिंह पुत्र मूलसिंह का ⅓ हिस्सा पूर्वानुसार रहता है।

मगर तहसीलदार बापिणी द्वारा शुद्धिपत्र संख्या 1 मौजा तेजासर में जरिये आदेश दिनांक 02 जुलाई 2021 पक्षकारान के वादग्रस्त भूमि में हिस्से परिवर्तित किये गये, जो साधिकार, न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है।

अधिवक्ता–अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत नजीरों 2009(2) आरआरटी 1018, 2008(2) आरआरटी 729 एवं 2015(1) आरआरटी 10 में माननीय न्यायालयों द्वारा यह धारित किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के प्रकरण के जरिये मात्र किसी लिपिकीय त्रुटि का परिमार्जन किया जा सकता है, भूमि की किस्म अथवा पक्षकारान के हिस्से परिवर्तित नहीं किये जा सकते है। इस आधार पर भी तहसीलदार बापिणी का आदेश दिनांक 02 जुलाई 2021 क्षेत्राधिकार–रहित पाया जाता है जिसे यथावत रखते हुए पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03 जनवरी 2022 समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03 जनवरी 2022 एवं तहसीलदार बापिणी द्वारा शुद्धिपत्र संख्या 1 में पारित आदेश मौजा तेजासर में पारित आदेश दिनांक 02 जुलाई 2021 अपास्त किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 20 अगस्त, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/08/24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर